it is the poorest in the world. Part (b) of my question is since there is a thinking of privatisation of public sector whether the Government is thinking of privatisation of this sector.

DR. SANJAY SINGH: Sir, that paper did not directly concern the World Bank project. It was simply a suggestion which directly does not ocncern the Department.

SHRI J. P. JAVALI: Sir, it is a very unsatisfactory answer. Just as the functioning of the Telephone Department it is most unsatisfactory. Most of the telephone exchange equipments are so old and worn out that we all experience that many times our telephone sets go dead. When we lift the receiver, we hear cross-talks and we have to wait till the cross-talks are over. Therefore, I want to know, at what stage the replacement of old equipment with electronic equipments is taking place, particularly in Karnataka and more particularly in Hubli and Dharwar?

DR. SANJAY SINGH: Sir, the hon. Member's question was about privatisation. I have given the answer. But if the hon. Member wants to ask some specific question about replacement by electronic exchanges...

MR. CHAIRMAN: You cannot ask about the whole of India—Hubli, Dharwar. How can he answer?

SHRI J. P. JAVALI: What is the modernisation programme in Karnataka?

MR. CHAIRMAN: No, no. Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सड़कों का निर्माण

*141. श्री रणजीत सिंह:
श्री अजीत जोगी:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार भीषण आर्थिक संकट के कारण सड़कों के निर्माण को समुचित प्रोत्साहन दे पाने की स्थिति में नहीं है और इस उद्योग में निजी क्षेत्र से सहयोग लेने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इससे संबंधित वर्तमान कानून में संशोधन करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो संबंधित कानून में कब तक संशोधन कर दिया जायेगा ताकि निजी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त किया जा सके?

जल संसाधन मंत्री, साथ में जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री मनुभाई कोटाड़िया): (क) से (ग) पिछली योजना अवधियों के दौरान तथा आठवीं योजना के चालू वर्ष में संसाधनों के अभाव के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिये अपेक्षाओं के अनुरूप पर्याप्त परिव्यय सुलभ कराना संभव नहीं हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में संशोधन करने के लिये एक विधेयक संसद में पेश किया जा रहा है ताकि अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के चुनिन्दा खंडों के प्रयोग पर शुल्क लगा सके। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता के बारे में अभी कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है।